उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुपालन में वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के संबधं में सुगम/दुर्गम स्थानों के चिह्नीकरण के संबंध में दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को स्थानान्तरण समिति की आहूत विभागीय बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 102/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 द्वारानिम्न विवरणानुसार सुगम–दुर्गम जनपद निर्धारित किये गये हैं–

सुगम क्षेत्र से संबंधित जनपदः–

(1) देहरादून।
(2) हरिद्वार।
(3) ऊधमसिंह नगर।
(4) नैनीताल।
(5) अल्मोड़ा।
(6) टिहरी गढ़वाल।

दुर्गम क्षेत्र से संबंधित जनपदः–

(1) पौड़ी गढ़वाल।
(2) उत्तरकाशी।
(3) चमोली।
(4) रूद्रप्रयाग।
(5) चम्पावत।
(6) बागेश्वर।
(7) पिथौरागढ़।

खेल विभाग के अधिकतम कार्यालय जनपद मुख्यालय में ही स्थापित/संचालित होने के दृष्टिगत पृथक से सुगम–दुर्गम क्षेत्र का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 14 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्धारित किये गये सुगम–दुर्गम जनपद के ही अनुसार सुगम–दुर्गम क्षेत्र रखे जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार उल्लेखित सुगम–दुर्गम क्षेत्र की सूचना बेवसाईट पर प्रदर्शित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(नगेन्द्र कुमार)	(एस0के0 डोभाल)	(मनोज कुमार शर्मा)	(अजय कुमार अग्रवाल)	(एस0के0 साकी)	(डॉ0 धर्मेन्द्र प्रकाश भट्ट)	(जी0एस0 रावत)
सहायक लेखाधिकारी	सहायक निदेशक	प्र0 उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक	निदेशक खेल (विभागाध्यक्ष)